न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–3, अयोध्या।

जमानत प्रार्थना पत्र सं.–142/2026
Computer Registration No– 1066/2026
C.N.R. No. UPFZ0–1003027–2026

1. **मो० शाकिर** पुत्र नासिर अंसारी निवासी ग्राम बड़ा गाँव थाना रौनाही जनपद अयोध्या
.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य .....विपक्षी

मु.अ.सं.–03/2026
धारा– 3/5/8 गो०नि०अधि०
थाना–कुमारगंज, जिला अयोध्या।

जमानत आदेश

1. आवेदक/अभियुक्त **मो०शाकिर** द्वारा मु.अ.सं.–03/2026 अंतर्गत धारा– 3/5/8 गो०नि०अधि०, थाना कुमारगंज, जनपद अयोध्या के प्रकरण में यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा– 482 बी.एन.एस.एस. सत्र न्यायाधीश अयोध्या के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज होने के उपरांत अंतरित होकर निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्राप्त कराया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अतिरिक्त कोई भी प्रार्थना पत्र जमानत किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही विचाराधीन है और प्रार्थी का कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय से निरस्थ अथवा निर्णीत नहीं किया गया है। प्रार्थी बिल्कुल बेगुनाह है और रंजिश की बिना पर झूंठा मतलूब किया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध कोई माकूल शहादत नहीं है। अभियोजन कथानक संदिग्ध, बनावटी व अविश्वसनीय प्रतीत होता है। प्रार्थी का मुकदमा उपरोक्त की कथित घटना से किसी तरह का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रार्थी ग्राम बड़ा गाँव थाना रौनाही का स्थायी निवासी है और कथित घटना ग्राम तुरसमपुर थाना कुमारगंज की कही गयी है जो प्रार्थी के गाँव से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रार्थी अंसारी बिरादरी से ताल्लुक रखता है और कथित सहअभियुक्त मो०रईस से न तो कोई नाते रिश्तेदारी है और न ही मो०रईस प्रार्थी के जाति बिरादरी के हैं। प्रार्थी के पास से अथवा प्रार्थी के निशान देही पर कतित किसी प्रकार की माँस की कोई बरामदगी नहीं हुई है। 3 जनवरी 2026 को प्रार्थी अपनी ससुराल तुरसमपुर अपनी बाइक से जा रहा था कि समय लगभग 5 बजे शाम कुमारगंज थाने की पुलिस कुमारगंज बाजार में वाहन चेकिंग के नाम पर रोका जिसको लेकर थाना कुमारगंज की पुलिस से कहासुनी व विवाद हो गया परिणामतः थाने पर ही प्रार्थी को बाइक सहित रोक लिया गया और धमकी दी गई कि पुलिस से जुबान चलाने का नतीजा तुम्हें सिखाते है। प्रार्थी को अवैधानिक ढंग से बिठाये रखने के बाद दो दिन बाद छोड़ा गया। प्रार्थी मुम्बई में सिलाई का कार्य करता है। प्रार्थी कभी भी किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं रहा है और न ही प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास है। थाना कुमारगंज की पुलिस प्रार्थी के घर कई बार दबिश दे चुकी है और प्रार्थी को गिरफ्तार कर बेइज्ज़त करना चाहती है।

3. वादी मुकदमा अमित कुमार द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 03/26 दिनांक 04.01.2026 को समय 22.43 बजे पंजीकृत की गई थी। तहरीर के अनुसार मुखबिर की सूचना पर कि ग्राम तुरसमपुर में एक व्यक्ति के घर पर कुछ मांस रखा हुआ है हो सकता है वह प्रतिबंधित जानवर का मांस हो। उक्त सूचना पर मुखबिर खास को लेकर उसके बताये हुए स्थान ग्राम पूरे सुर्ती देवगाँव से तुरसमपुर जाने वाली रोड पर स्थित जामा मस्जिद के आगे बढ़ने पर एक घर की तरफ इशारा कर मुखबिरखास हट गया। उस घर के मुख्य दरवाजे पर दो व्यक्ति मिले

Digitally signed by JANARDAN PRASAD YADAV
Date: 2026.06.03 17:18:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जिन्होने अपना नाम मो०शाकिर व मो० रईद बताया। उनकी जामा तलाशी से कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। दोनो व्यक्तियों से अलग अलग व एक साथ पूंछताछ किया गया तो बताया कि यह मकान स्व० रफीउल्लाह का है मकान के पिछले कमरे मे भैंसे का मांस रखा हुआ है। उक्त व्यक्तियो की निशादेही पर मकान के कमरे मे देखा गया तो एक बोरी पर कुछ मां रखा हुआ है। जिसका वजन 80 किलोग्राम है। शक होने पर जरिए दूरभाष पशु चिकित्साधिकारी डा०आर०आर०यादव मो०नं० 9651907879 पर काल कर मौके पर तलब किया गया। जिनके द्वारा मीट को चेक कर बताया गया कि इस संबंध मे सही स्थिति परीक्षण के बाद ही स्पष्ट हो सकती है कि यह मीट किस जानवर का है। बरामद मीट मे से नमूना परीक्षण के लिए कुछ मीट एक सफेद पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बे मे डाक्टर द्वारा सैम्पल निकालकर रखकर सील सर्व मुहर कर नमूना मोहर मौके पर तैयार किया गया। उक्त सैम्पल को परीक्षण हेतु अकब से विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। उपरोक्त दोनों व्यक्तियों का यह कार्य जानवर का वध कर रिष्टी की गयी है एवं मांस को असुरक्षित तरीके से खुले रूप में रखा गया है जिसके सेवन करने से मानव में संक्रमण उत्पन्न हो सकता है। बरामद शेष मांस को पशु चिकित्साधिकारी की मौजूदगी में गांव के बाहर जमीन में गाड़कर नष्ट कराया गया।

4. प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि दो व्यक्ति प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नामजद है। सहअभियुक्त मो०रईश की जमानत पूर्व मे इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। एफ०एस०एल रिपोर्ट के आधार पर गोवध अधिनियम की धारा की बढ़ोत्तरी की गई है। प्रार्थी घटना स्थल का रहने वाला नहीं है, प्रार्थी बड़ागांव का रहने वाला है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। घटनास्थल दुकान का दिखाया गया है। चार माह बाद अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। दुकान का लाइसेंस मो० रईस के बेटे के नाम है। एफ०एस०एल के लिए कथित मांस के सैंपल की रिसीविंग दिनांक 08.01.2026 की है जबकि पुलिस के अनुसार एफ०एस०एल के लिए कथित मांस के सैंपल की रिसीविंग दिनांक 09.01.2026 को करायी गई है। कथित मांस बिना किसी प्रिजरवेटिव के पांच दिन तक एक पारदर्शी डिब्बे मे रखा जाना कहा गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 325/271 बी.एन.एस. मे पंजीकृत हुई थी। प्रार्थी के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तर्क का खण्डन करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त के घर से मांस की बरामदगी हुई है जिसका सैंपल पशु चिकित्साधिकारी द्वारा जांच के लिए वेटेनरी यूनिवर्सिटी फारेन्सिक लैब मथुरा भेजा गया था जिसमें गो वंशीय मांस की पुष्टि हुई है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

6. सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार रिष्टि और असुरक्षित तरीके से मांस रखे होने के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय किसी भी स्वतंत्र साक्षी की उपस्थिति नहीं बतायी गई है। भैसे का मांस रखे होने की सूचना पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई। वेटनरी आफिसर को भी सूचना प्रेषित की गई, बरामद मांस के गोमांश होने की कोई आशंका किये जाने का कोई उल्लेख केस डायरी मे नही किया गया है। संबंधित पुलिस द्वारा बरामद मांस को विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित किया गया है। एफ०एस०एल रिपोर्ट दिनांकित 09.01.2026 में जिसके प्राप्त होने की तिथि 08.01.2026 है परन्तु संलग्न रिसीविंग सैंपल 09.01.2026 बतायी गई है। कान्सटेबल उमेश कुमार यादव द्वारा सैंपल रिसीव कराने का पत्र संलग्न है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास अभियोजन की ओर से समक्ष न्यायालय प्रस्तुत नहीं किया गया है। सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **मो०शाकिर** द्वारा मु.अ.सं.–03/2026 अंतर्गत धारा– 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना कुमारगंज, जनपद अयोध्या में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

यदि आवेदक /अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाती है तो उसके द्वारा संबंधित पुलिस अधिकारी अथवा न्यायालय के समक्ष मुबलिग 50000/–रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र तथा उसी धनराशि की एक जमानत दिये जाने पर अविलंब रिहा कर दिया जाए।

1. आवेदक/अभियुक्त पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों के उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
2. आवेदक/अभियुक्त इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
3. आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान बिना विधि सम्मत कारण के, सुनवाई की तिथियों पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
4. यदि आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी न्यायालय के आदेश के अनुपालन मे की जाती है तो अग्रिम जमानत आदेश प्रभावी नहीं होगा।

(जनार्दन प्रसाद यादव)
J.O. CODE– UP 6431
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं.–3, अयोध्या

दिनांक–03.06.2026